पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 155/2025**

**अनवान :**

1. पवनकुमार पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:— वादी

**बनाम**

1. उम्मेदसिंह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. मुकेशकुमार पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
3. पुनमकुमारी पुत्री उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. एचडीएफसी शाखा आदमपुर जिला हिसार जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता संख्या 180/49 के मु0नं0 8 के कि0नं0 25, मु0नं0 9 के कि0नं0 21, मु0नं0 29 के कि0नं0 11/1, 11/2 मु0नं0 30 के कि0नं0 1/1, 1/2, 10, 11 मु0नं0 31 के कि0नं0 5/1, 5/2, 6, 15 मु0नं0 106 के कि0नं0 8/1, 9/1, 12, 13 18, 19, 22, 23 मु0नं0 107 के कि0नं0 13/1, 18/1, 23/1 मु0नं0 108 के कि0नं0 3 मु0नं0 109 के कि0नं0 2, 3, 8, 9 कुल किता 28 की 5.870 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 उम्मेदसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी पवन कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 मुकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी 1 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:17:42 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

# ायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस**

रण सं0 : 155/2025

यान :

1. पवनकुमार पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा। :— वादी

**बनाम**

1. उम्मेदसिंह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. मुकेशकुमार पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
3. पुनमकुमारी पुत्री उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. एचडीएफसी शाखा आदमपुर जिला हिसार जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

**दावा बाबत : इस्तकरार हक**

**अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री सुरेन्द्र बैनिवाल : **वादी**

वकील श्री अर्जुन बैनिवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

**दिनांक :** 09.07.2025

## निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता संख्या 180/49 के मु0नं0 8 के कि0नं0 25, मु0नं0 9 के कि0नं0 21, मु0नं0 29 के कि0नं0 11/1, 11/2 मु0नं0 30 के कि0नं0 1/1, 1/2, 10, 11 मु0नं0 31 के कि0नं0 5/1, 5/2, 6, 15 मु0नं0 106 के कि0नं0 8/1, 9/1, 12, 13 18, 19, 22, 23 मु0नं0 107 के कि0नं0 13/1, 18/1, 23/1 मु0नं0 108 के कि0नं0 3 मु0नं0 109 के कि0नं0 2, 3, 8, 9 कुल किता 28 की 5.870 है0 बारानी मया रास्ता खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। वादी एवं प्रवितादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पवनकुमार पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा सुरतपुरा के खाता संख्या 180/49 संवत 2075–78 प्रदर्श 1, नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम सुरतपुरा रजिस्टर संख्या 1315 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सूरतपुरा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि [illegible] में वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। [illegible] प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा सुरतपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद



Scanned with CamScanner

पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता संख्या 180/49 के मु0नं0 8 के कि0नं0 25, मु0नं0 9 के कि0नं0 21, मु0नं0 29 के कि0नं0 11/1, 11/2 मु0नं0 30 के कि0नं0 1/1, 1/2, 10, 11 मु0नं0 31 के कि0नं0 5/1, 5/2, 6, 15 मु0नं0 106 के कि0नं0 8/1, 9/1, 12, 13 18, 19, 22, 23 मु0नं0 107 के कि0नं0 13/1, 18/1, 23/1 मु0नं0 108 के कि0नं0 3 मु0नं0 109 के कि0नं0 2, 3, 8, 9 कुल किता 28 की 5.870 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 उम्मेदसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता संख्या 180/49 के मु0नं0 8 के कि0नं0 25, मु0नं0 9 के कि0नं0 21, मु0नं0 29 के कि0नं0 11/1, 11/2 मु0नं0 30 के कि0नं0 1/1, 1/2, 10, 11 मु0नं0 31 के कि0नं0 5/1, 5/2, 6, 15 मु0नं0 106 के कि0नं0 8/1, 9/1, 12, 13 18, 19, 22, 23 मु0नं0 107 के कि0नं0 13/1, 18/1, 23/1 मु0नं0 108 के कि0नं0 3 मु0नं0 109 के कि0नं0 2, 3, 8, 9 कुल किता 28 की 5.870 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 उम्मेदसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी पवन कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 मुकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी 1 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट-ट्रैक)
नोहर, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner